

3

शासन उप सचिव का निम्न विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कात्मक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी मालवाड़ा ने विपक्ष के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता सैसर्स श्री राम गजक भंडार, सदर बाजार, गोल प्याऊ चौराहा, मालवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु तिल पट्टी इत्यादि का विक्रय कर रहा था। श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता मालवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु तिल पट्टी एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत सैसर्स श्री राम गजक भंडार, सदर बाजार, गोल प्याऊ चौराहा, मालवाड़ा का विक्रेता इत्यादि का विक्रय कर रहा था। श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता मालवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत 15 पैकेट तिल पट्टी रखी हुई थी। विक्रेता से तिल मांगा तो तिल न होना जाहिर किया। मालवाड़ा व मिसबाण्ड का ब्राक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्तु जांच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को

दिनांक 26.07.2018

## आदेश

उपस्थित-  
1 प्राप्ति की ओर से विभागीय प्रोकार उपस्थित  
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

उत्पन्न प्रकरण  
प्रकरण संख्या 19/2018 खाद्य सुरक्षा

पुनः अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं

- प्राप्ति

मालवाड़ा

सरकार लिये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, मालवाड़ा

बनाम

उत्पन्न प्रकरण

—विपक्षी

1. श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता सैसर्स श्री राम गजक भंडार, सदर बाजार, गोल प्याऊ चौराहा, मालवाड़ा

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालवाड़ा  
प्रकरण संख्या 19/2018 खाद्य सुरक्षा

इस खरीदारी 4 पैकेट पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के समाने वार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-437 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व सैन स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर विपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कगाल में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गाँद से विपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर धूप रिलिफ कोड एवं सीरीयल नं. एक्स-437 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य विक्रेता एवं स्वस्थ अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित वही, को वारों नमूना भागों पर धूप से लेकर पेंद तक एवं पेंद से धूप तक लगातार नियमानुसार गाँद से विपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर सैन व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील नमूना भागों पर श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता मैसर्स श्री राम गजक मंडार, सदर बाजार, गोल प्लाक चौराहा, भीलवाड़ा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर धूप रलीफ पर व आधे खाकी कगाल पर आ गये। वारों सील नमूना भागों को अपने कब्जे

2

के तहत खरीद एवं इस बाबत 480/- रुपये देकर रसीद प्राप्त की।

पट्टी के 4 पैकेट खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्तु जाँच हेतु एकएकएक एक 2006 मौक पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ तिल

अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया।  
 मौक पर फर्म के खाद्य लाइसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक एवं आम जनता की उपयुक्त हेतु तिल पट्टी इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मैसर्स श्री राम गजक मंडार, सदर बाजार, गोल प्लाक चौराहा, भीलवाड़ा उपस्थित था खाद्य विक्रेता/सैन्यर की हैसियत श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता परियत्र दिया परियत्र पत्र दिखाना एवं विक्रेता का परिवर्ष लिया। उस समय दुकान पर गजक मंडार, सदर बाजार, गोल प्लाक चौराहा, भीलवाड़ा पर पड़या। सैन विक्रेता को दौरान चौका हेतु श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विक्रेता मैसर्स श्री राम अधिकारी दिनांक 04.01.2018 को समय 11:00 AM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेक खाद्य सुरक्षा गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाइल करने बाबत लिखे फॉर्म-6 समारोहम, खाद्य विरलेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय को वास्तु जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीद, केंद्र के खाद्य लाइसेंस की प्रति खाद्य विरलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर आदेश की प्रति, फॉर्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूल्य प्रति, मौका फट्टे प्रति, फर्म आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदरखापान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णय

करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत किया।  
 फॉर्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णय आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत

उपस्थित।

क करने हेतु पाठान्त किया गया। मामले में विभागीय प्रोकरार उपस्थित। विपक्षी स्वयं  
दिनांक 19.07.2018 को कार्यालय द्वारा मंजूर या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत  
2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष  
खाह सुरक्षा अधिकांश से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 08.06.

प्रकरण प्रस्तुत किया।

क करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाह सुरक्षा अधिकांश ने इस न्यायालय में  
अधिकांशी मीलवाला के पत्र द्वारा प्रार्थना की न्याय निर्णय अधिकांशी को आवेदन प्रस्तुत  
का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकांशी एवं मुख्य विधिकार एवं स्वास्थ्य  
एकपक्षीय एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाह नमूना निर्धारित मानक कोटि  
एकपक्षीय की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। निम्निका नमूना  
बाजार, गोल प्याऊ, मीलवाला द्वारा निम्नभाण्ड तिल पट्टी का विक्रय कर  
श्री बांदमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विकला संसद श्री राम गजक भंडार, सदा  
मूल प्रति सहित न्याय निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी  
नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी  
दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कामना एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को  
विधिकार एवं स्वास्थ्य अधिकांशी मीलवाला द्वारा प्रार्थना की अधिकांशी और आदेश  
स्वास्थ्य अधिकांशी मीलवाला को मंजूरी दिया। निम्न पर अभिहित अधिकांशी एवं मुख्य  
आवेदन पत्र करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अधिहित अधिकांशी एवं मुख्य विधिकार एवं  
(Misbranded) होने पाया गया। आवेदक खाह सुरक्षा अधिकांशी द्वारा न्याय निर्णय  
जॉब हेतु लिया गया, खाह नमूना सं. एक्स -437 तिल पट्टी निम्नभाण्ड तिल  
जॉब रिपोर्ट सं. L.S./02/FSSA/2018/08 दिनांक 16.01.2018 के अनुसार विकला से वास्तु  
खाह विवेक, खाह सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त

गई।

प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवा गईं  
विधिकार एवं स्वास्थ्य अधिकांशी मीलवाला द्वारा खाह विवेक, खाह सुरक्षा एवं मानक  
प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श.क. कार्यालय मुख्य  
से ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाह सुरक्षा एवं मानक  
एक प्रति के साथ निम्न पर वही मूल नमूना अंकित था जो मूने नमूना लेते समय काम  
खाह नमूना सं. एक्स 437 के एक सीलबन्ध भाग को फार्म नं. 6 की

करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

की उपस्थिति में विकला को लिए गये नमूने के IV PAM की जॉब एकीकटेड लेब में  
रसका मनीग्राम सौके पर फट्टे पर अंकित किया गया साथ ही सरे द्वारा सौके पर गावड  
विकला के सामने पूर्ण की गई। निम्न सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था  
को कहा गया निम्न सील न सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यावाही गवाही व  
में लिया। सौका फट्टे तैयार कर पककर, पकाकर, समझाकर, होशीहवास में हस्ताक्षर करने

विभागीय प्रोकर में अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिश्रण/डिह होना पाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि तिल पट्टी नमूना एकस-437 Batch No.- Not given, Date of Mfg./Pkg. - Not given, Best before- Veg./ Non Veg./ Nutritional information- Not given, List of Ingredients- Not given, Contravention of Regulation No. 2.2.2(2), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and Standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर मिश्रण/डिह तिल पट्टी का विक्रय कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका उल्लंघन कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 52 में निर्धारित है। जिसका उल्लंघन कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 52 में निर्धारित है।

विपक्षी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./02/FSSA/2018/08 दिनांक 16.01.2018 के अनुसार विक्रता से वास्तु जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एकस-437 तिल पट्टी मिश्रण/डिह (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि तिल पट्टी नमूना एकस-437 Batch No.- Not given, Date of Mfg./Pkg. - Not given, Best before- Veg./ Non Veg./ Nutritional information- Not given, List of Ingredients- Not given, Contravention of Regulation No. 2.2.2(2), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and Standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर मिश्रण/डिह तिल पट्टी का विक्रय कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका उल्लंघन कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 52 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दरतावेजाल का स्थानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विवेक/खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./02/FSSA/2018/08 दिनांक 16.01.2018 के अनुसार विक्रता से वास्तु जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एकस-437 तिल पट्टी मिश्रण/डिह (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि तिल पट्टी नमूना एकस-437 Batch No.- Not given, Date of Mfg./Pkg. - Not given, Best before- Veg./ Non Veg./ Nutritional information- Not given, List of Ingredients- Not given, Contravention of Regulation No. 2.2.2(2), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(8), 2.2.2(9) and 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and Standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर मिश्रण/डिह तिल पट्टी का विक्रय कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका उल्लंघन कर एकसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिश्रण/डिह तिल पट्टी का विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की धारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

32

श्रीलवाडा (गव.)  
 (खण्ड मंत्रालय एवं मानव अधिकार विभाग)  
 श्रीलवाडा न्याय निर्णयन आधिकारी एवं  
 श्रीलवाडा न्याय निर्णयन आधिकारी एवं  
 26/7/18

- 1 खाद्य सुरक्षा आर्यवत एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)श्रीलवाडा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर
- 2 आम्हिल आधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी श्रीलवाडा
- 3 कैडियर, श्रीलवाडा कलेक्टर कार्यालय श्रीलवाडा
- 4 श्री वादमल पुत्र रामस्वरूप साहू मालिक/विकेता मैसर्स श्री राम गजक भंडार, सदर बाजार, गोल प्याऊ चौराहा, श्रीलवाडा को भुजकर लेख है कि उक्त शास्त्रि शास्त्रि याज्ञिक याज्ञिक जमा करा, खालन कैडियर श्रीलवाडा कलेक्टर कार्यालय श्रीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

**प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है-**

श्रीलवाडा न्याय निर्णयन आधिकारी एवं  
 श्रीलवाडा न्याय निर्णयन आधिकारी एवं  
 26/7/18



खुल न्यायालय में सुनाया गया ।

उपरोक्त प्राधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्द्धपट्ट से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रुपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) शास्त्रि आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्त्रि निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्त्रि याज्ञिक कैडियर श्रीलवाडा कलेक्टर कार्यालय श्रीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को सेरे द्वारा लिखया जाकर